राजस्थान–सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, रामगंजमण्डी जिला कोटा

E mail - me.ramganjmandi@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– खअ/राम/अवैध स्टोक/नीलामी/2025/162 दिनांकः– 8/5/2025

–: नीलामी निविदा विज्ञप्ति :–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला कोटा की तहसील रामगंजमण्डी, सागोंद, एंव कनवास कार्यालय क्षेत्राधिकार में जब्तशुदा निम्नानुसार खनिज स्टोक मैसेनरी स्टोन/बजरी को राजकीय सम्पत्ति को नीलामी हेतु सीलबन्द लिफाफे में निविदाएं दिनांक 21.05.2025 को दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक कार्यालय खनि अभियन्ता, रामगंजमण्डी (खनिज भवन,बाजार न0 1 रामगंजमण्डी, जिला कोटा) में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त सीलबन्द निविदाएं कमेटी द्वारा दिनांक 21.05.2025 को सायः 4 बजे उपस्थित निविदादाताओ के समक्ष कार्यालय में खोली जायेगी। जिस किसी को इस नीलामी में भाग लेना है, निविदा फार्म कार्यालय में राशि रू0 100/– जमा करा प्राप्त कर दिनांक 21.05.2025 को प्रातः 11 बजे तक प्राप्त कर नियत तिथि को नियतः समयावधि में निम्न विवरण अनुसार अमानत राशि जरिए डीडी/बैंकर्स चैक जो अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम हो निविदा फार्म के साथ संलग्न कर प्रस्तुत कर सकते है। अपूर्ण निविदा फार्म स्वीकार नही किये जायगें

क्र.स.	नीलामी सूचना संख्या	जब्तशुदा खनिज के स्थान का विवरण			जब्तशुदा खनिज की अनुमानित मात्रा (टनों में)	बयाना/अमानत राशि (रू0 में)	न्यूनतम निविदा राशि (रू0 में)	विशेष विवरण
		पंचनामा कमाक दिनांक	निकट ग्राम	तहसील/जिला				
1	01/2024	25/16.1.24	धुलेट	कनवास	मेसनरी स्टोन 108 टन	3,780/–	37,800/–	जहां है जेसी स्थिति मे मोके पर स्टोक किया हुआ है,देखा जा सकता है।
2	04/2024	28/18.1.24.	आमली	सगोंद	बजरी 40 टन	1800/–	18,000/–	
3	05/2024	31/17.9.2021	मोरक	रामगंजमण्डी	बजरी 20 टन	900/–	9,000/–	
4	01/2025	25/25.7.2022	कनवास	कनवास	बजरी 90 टन	4,050/–	40,500/–	
5	02/2025	26/2.08.2022	कोटडी	कनवास	बजरी 500 टन	22,500/–	2,25,000/–	
6	03/2025	27/2.08.2022	खेडली	रामगंजमण्डी	बजरी 200 टन	9,000/–	90,000/–	
7	04/2025	28/8.08.2022	सलोनिया	कनवास	बजरी 120 टन	5,400/–	54,000/–	

नोटः– खनिज बजरी/मैसेनरी स्टोन नीलामी की शर्ते विभागीय कार्यालय खनि अभियन्ता, रामगंजमण्डी के नोटिस बोर्ड एवं विभागीय वेबसाइट mines.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

08/05/2025

खनि अभियन्ता,रामगंजमण्डी

नीलामी कार्यवाही हेतु शर्ते निम्नानुसार रहेंगी:–

1. निविदा सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से क्षैत्र/स्थल का नाम जहाँ खनिज स्टोक मैसेनरी स्टोन/बजरी पड़ी है, लिखा होना चाहिए। सभी निविदाएं कार्यालय खनि अभियन्ता, रामगंजमण्डी (खनिज भवन,बाजार न0 1 रामगंजमण्डी, जिला कोटा) में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त सीलबन्द निविदाएं कमेटी द्वारा दिनांक 21.05.2025 को सायः 4 बजे उपस्थित निविदादाताओ के समक्ष कार्यालय में खोली जायेगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ ऊपर वर्णितानुसार बयाना/अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बेकर्स चैक जो संबंधित खनि अभियन्ता रामगंजमण्डी के नाम देयी हो, निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि कोई निविदादाता अलग–अलग थाना परिसर/चौकी/स्थल की खनिज स्टोक मैसेनरी स्टोन/बजरी के लिये निविदा प्रस्तुत करता है, तो बयाना/अमानत राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बेकर्स चैक अलग–अलग ही संलग्न करने होगे। निविदा राशि 10 रू0 प्रति टन के गुणक में ही मान्य होगी।
3. निविदा पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या निविदादाता फर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, कम्पनी के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नही है।
4. जब्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में संबंधित थाना/चौकी/क्षैत्र/स्थल पर की जा सकती है।
5. जब्तशुदा खनिज स्टोक मैसेनरी स्टोन/बजरी संबंधित थाना/चौकी/क्षैत्र/स्थल में जैसी भी, जितनी भी, जहाँ भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपुर्द की जावेगी।
6. प्राप्त निविदाएं कमेटी द्वारा दिनांक 21.05.2025 को सायः 4 बजे उपस्थित निविदादाताओ के समक्ष कार्यालय में खोली जाकर उच्चतम निविदादाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। आदेश प्राप्ति के तीन कार्यदिवस में सम्पूर्ण निविदा राशि ऑनलाईन विभागीय मद में जमा करायेगें। राशि जमा होने की तिथि से 15 दिवस में समस्त खनिज स्टोक मैसेनरी स्टोन/बजरी उठानी होगी, अन्यथा जमा बयाना/अमानत राशि जब्त करते हए खनिज स्टोक मैसेनरी स्टोन/बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जावेगी।
7. निविदादाता को खनिज मैसेनरी स्टोन/बजरी के स्टॉक के उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, मजदूरी व परिवहन इत्यादि अन्य खर्चे) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय निविदादाता का ही होगा।
8. निविदादाता को पहचान पत्र/फोटो आई. डी. इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा, एवं मुख्तयारनामा यदि जारी किया गया हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशकों की सूची इत्यादि की प्रति साथ में लानी होगी।
9. निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।
10. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उर्ज/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेठी के पास सुरक्षित होगें एवं किसी भी न्यायिक वाद की स्थिति में न्यायिक क्षैत्र रामगंजमण्डी होगा।
11. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरान्त कार्यालय खनि अभियन्ता, रामगंजमण्डी द्वारा वाहन के वजन क्षमतानुसार रवन्ना जारी किये जायेगें तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी खनिज मैसेनरी स्टोन/बजरी से भरा वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
12. 500 टन से अधिक खनिज मैसेनरी स्टोन/बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तद्नुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
13. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जावेगा। स्टॉक के बेलेन्स की गणना कर रजिस्टर की फोटो संबंधित खनि अभियन्ता, अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) को वाट्सएप पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।

14. नीलामी की गई खनिज मैसेनरी स्टोन/बजरी का पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफलतम निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयोगी स्थान पर परिवहन करेगा।
15. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः निलामी कर सकेगा और इस संबंध में सफल निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
16. शेष सभी शर्ते सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार रहेगी।

08/5/25

खनि अभियन्ता, रामगंजमण्डी

क्रमांकः– खअ/राम/अवैध खनन/2025/163–173 दिनांकः–8/5/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, कोटा।
2. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक ग्रामीण।
3. श्रीमान् निदेशक महोदय, निदेशालय, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
4. नोडल अधिकारी डी.एम.जी.ओ.एम.एस. निदेशालय, खान एवं भू–विज्ञान विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक (खान), कोटा–जोन, कोटा।
6. श्रीमान् अधीक्षण खनि अभियन्ता, कोटा–वृत्त, कोटा।
7. श्रीमान् अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता), कोटा–वृत्त, कोटा।
8. खनि अभियन्ता, कोटा।
9. सहायक लेखाधिकारी, सदस्य कमेटी।
10. तकनीकी स्टाफ रामगंजमण्डी को नीलामी विज्ञप्ती के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. नोटिस बोर्ड में कार्यालय हाजा

08/5/2025

खनि अभियन्ता, रामगंजमण्डी